न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 513/2020

अनवान : –

1. जगराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. मोमनराम पुत्र रामजस जाति मेघवाल निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 05/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सयुक्त हिन्दु खानदान की जददी जायदाद पुरानी दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के ख०न० 43 की 8. 3976 हैक्ट ख0न0 67 की 1.3660 हैक्ट ख0न0 85 की 2.0490 हैक्ट कुल 11.8120 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख0न0 303 की 3.7180 हैक्ट भूमि स्व. शेराराम की थी शेराराम की मृत्यु के पश्चात उनके वारिस नानूराम व रामजस हुऐ है नानुराम अपने पिता शेराराम के जीवनकाल में फौत होने के कारण नानूराम के एक मात्र वारिस पुत्र वादी के 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा रामजस के नाम दर्ज हुई रामजस फौत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी सं. 1 साजनाराम हुऐ। कुल भूमि 63 बीघा शेरारााम की थी जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा था अर्थात 31 बीघा 10 बिस्वा भुमि थी तथा 31 बीघा 10 दिवा भूमि मोमन राम प्रतिवादी सं. 1 व साजन की थी यही बिनाय दावा है।

शेराराम की कुल तादादी भूमि रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 36/40 की कुल तादादी 11.8120 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नाहर के जमाबन्दी सम्बत 2070 –2073 के खाता सं. 303 की 3.7180 हैक्ट भूमि कुल दोनो गांवो की 15.5300 हैक्ट भूमि थी जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात 7.7650 हैक्ट भूमि थी किन्तु प्रतिवादी सं. 1 व साजन ने रोही मौजा दलपतपुरा की भूमि अपने नाम अकेले के 3.7180 हैक्ट भूमि दर्ज करवा ली व रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर की भूमि 1/2 हिस्सा दर्ज करा लिया [illegible] राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 व साजन के अपने पिता रामजस [illegible] इंतकाल दर्ज करवाकर वादी के हक को कम करते हुऐ अपना ना[illegible] मौजा जोरावरपुरा [illegible] नोहर की भूमि में से 3.421 हैक्ट भूमि का बैचान मोहरसिंह पुत्र [illegible]राम को विक्रय कर [illegible] इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को व साजन का कुल दादालाई 7.7650 हैक्ट भूमि थी जिसमें से दलपतपा की रोही में 3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:09:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

718 हैक्ट हिस्सा भूमि थी और जोरावरपुरा की रोही में केवल 4.0740 हैक्ट भूमि है तथा जिससे वाद भूमि विक्रय करने के केवल 0.626 हैक्ट हिस्सा ही शेष रहा था। किन्तु प्रतिवादी सं. 1 के नाम 2.485 हैक्ट भूमि दर्ज है जो कि विधि विरूद्ध है इसलिए न्यायालय से घोषणा कराने के अधिकारी है कि प्रतिावदी सं. 1 का वाद भूमि केवल 0.626 हैक्ट भूमि ही है अत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर प्रतिवादी सं. 14 का 0626/11812 हिस्सा भूमि तथा वादी का 7765/11812 हिस्सा भूमि दर्ज किया जाने की घोषणा करापाने का अधिकारी है। अत घोषणा की जावे की रोही मौजा जोरावरपुरा की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 36 की कुल तादादी 11.8120 हैक्ट भूमि में वादी का 7765/11812 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 1 का 626/11812 हिस्सा की घोषणा करवाकर दुरूस्त करके दर्ज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी 1 व साजन ने वादी के हक हिस्सा को कम नही किया है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा दलपतपुरा की भूमि तथा रोही मौजा जोरावपुरा की भूमि साधिकार दर्ज हुई है। रामजस के फौत होने के बाद प्रतिवादी स0 1 की माता सुन्दरी पत्नी रामजस व साजनराम पुत्र पुत्र रामजस व महेन्द्रदेवी पुत्री रामजस ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में जरिये दस्बरदारी त्याग किया गया है साजनराम पुत्र रामजस द्वारा जोरावरपुरा की भूमि का मोहरसिंह पुत्र आशाराम को जरिये बैयनामा दिनांक 04.11.2008 को बैय किया गया है। उक्त दस्बरदारी व बैयनामा को निरस्त करवाये बिना वादी वाद पेश करने के अधिकारी नही है। अत जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमावे।

वादी जगराम ने साक्ष्य में अपने बयान कलबद्ध करवाये एवं वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा जोरावरपुरा सम्वत 2076–79 खाता स0 36 ईएक्सपी–1, जमाबंदी रोही मौजा दलपतपुरा सम्वत 2070–73 खाता स0 266 ईएक्सपी–2, मिसल बन्दोबस्त 2029 ता 38 रोही मौजा जोरावरपुरा बहक रामजस वगैरह ईएक्सपी–3, नकल मिलान क्षेत्रफल रोही मौजा जोरावपुरा ईएक्सपी–[illegible] करवाये।

साक्ष्य प्रतिवादी में मो[illegible] ने [illegible] कलमबद्ध करवाये व वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य दस्तबरद[illegible] ईएक्सडी 1 जिसकी चित्रप्रति ईएक्डी ए1, जमाबंदी रोही मौजा दलपतपुरा सम्वत 2071–[illegible] ईएक्सडी–2, नकल जमाबंदी रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:09:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जोरावरपुरा सम्वत 2068 ता 71 ईएक्सपी–3, नकल जमाबंदी रोही मौजा दलपतपुरा सम्वत 2070–73 ईएक्सडी–4, चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 04.11.2008 पेश किये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि शेराराम की कुल तादादी भूमि रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 36/40 की कुल तादादी 11.8120 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नाहर के जमाबन्दी सम्बत 2070 –2073 के खाता सं. 303 की 3.7180 हैक्ट भूमि कुल दोनो गांवो की 15.5300 हैक्ट भूमि थी जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात 7.7650 हैक्ट भूमि थी किन्तु प्रतिवादी सं. 1 व साजन ने रोही मौजा दलपतपुरा की भूमि अपने नाम अकेले के 3.7180 हैक्ट भूमि दर्ज करवा ली व रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर की भूमि 1/2 हिस्सा दर्ज करा लिया जो कि विधि विरूद्ध था। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 व साजन के अपने पिता रामजस की मृत्यु के पश्चात विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाकर वादी के हक को कम करते हुऐ अपना नाम दर्ज करवाकर रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर की भूमि में से 3.421 हैक्ट भूमि का बैचान मोहरसिंह पुत्र आशाराम को विक्रय कर दिया इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को व साजन का कुल दादालाई 7.7650 हैक्ट भूमि थी जिसमें से दलपतपा की रोही में 3.718 हैक्ट हिस्सा भूमि थी और जोरावरपुरा की रोही में केवल 4.0740 हैक्ट भूमि है तथा जिससे वाद भूमि विक्रय करने के केवल 0.626 हैक्ट हिस्सा ही शेष रहा था। किन्तु प्रतिवादी सं. 1 के नाम 2.485 हैक्ट भूमि दर्ज है जो कि विधि विरूद्ध है इसलिए न्यायालय से घोषणा कराने के अधिकारी है कि प्रतिावदी सं. 1 का वाद भूमि केवल 0.626 हैक्ट भूमि ही है अत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर प्रतिवादी सं. 14 का 0626/11812 हिस्सा भूमि तथा वादी का 7765/11812 हिस्सा भूमि दर्ज किया जाने की घोषणा करापाने का अधिकारी है। अत घोषणा की जावे की रोही मौजा जोरावरपुरा की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 36 की कुल तादादी 11.8120 हैक्ट भूमि में वादी का 7765/11812 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 1 का 626/11812 हिस्सा की घोषणा करवाकर दुरूस्त करके दर्ज किया जावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया की प्रतिवादी 1 व साजन ने वादी के हक हिस्सा को कम नही किया है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा दलपतपुरा की भूमि तथा रोही मौजा जोरावपुरा की भूमि साधिकार दर्ज हुई है। रामजस के फौत होने के बाद प्रतिवादी स0 1 की माता सुन्दरी पत्नी रामजस व साजनराम पुत्र पुत्र रामजस व महेन्द्रदेवी पुत्री रामजस ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में जरिये दस्बरदारी त्याग किया गया है साजनराम पुत्र रामजस द्वारा जोरावरपुरा की भूमि का मोहरसिंह पुत्र आशाराम को जरिये बैयनामा दिनांक 04.11.2008 को बैय किया गया है। उक्त दस्बरदारी व बैयनामा को निरस्त करवाये बिना वादी वाद पेश करने के अधिकारी नही है एवं वादी द्वारा साजनराम जो की प्रतिवादी स0 1 का भाई है एवं मोहरसिंह जो कि खरीददार है को पक्षकार ही नही बनाया गया है। अत पक्षकारों के अभाव में वादी का वाद [illegible] नही है वादी द्वारा क्लीन हैण्ड वाद पेश नही किया गया है। वादी का वाद खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:09:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के ख०न० 43 की 8. 3976 हैक्ट ख0न0 67 की 1.3660 हैक्ट ख0न0 85 की 2.0490 हैक्ट कुल 11.8120 हैक्ट भूमि मे 1/2 हिस्सा वादी के नाम एवं 2485/11812 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के ख0न0 303 की 3.7180 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि शेराराम की कुल तादादी भूमि रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076–2079 के खाता सं. 36/40 की कुल तादादी 11.8120 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नाहर के जमाबन्दी सम्बत 2070 –2073 के खाता सं. 303 की 3.7180 हैक्ट भूमि कुल दोनो गांवो की 15.5300 हैक्ट भूमि थी जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात 7.7650 हैक्ट भूमि थी किन्तु प्रतिवादी सं. 1 व साजन ने रोही मौजा दलपतपुरा की भूमि अपने नाम अकेले के 3.7180 हैक्ट भूमि दर्ज करवा ली व रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर की भूमि 1/2 हिस्सा दर्ज करा लिया जो कि विधि विरूद्ध था लेकिन वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक रोही मौजा जोरावरपुरा की भूमि वादी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है एवं वादी का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा ही बनता है जो की वादी के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा दलपतपुरा के ख0न0 303 की 3.7180 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है जो की पूर्व में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज रही है वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की रोही मौजा दलपतपुरा के ख0न0 303 की भूमि वादी व प्रतिवादी के पूर्वज शेराराम के नाम दर्ज रही हो वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी स0 1 के पिता एवं उसके बाद उक्त भूमि रामजस के वारिसान के नाम दर्ज हुई एवं प्रतिवादी स0 1 की माता सुन्दरदेवी, भाई व बहिन साजनराम व महेन्द्र देवी द्वारा प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में दस्तबरदारी करवाई गयी है। वादी द्वारा रामजस के उक्त भूमि कैसे दर्ज हुई है बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....05/03/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:09:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 513 / 2020

अनवान : –

1. जगराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. मोमनराम पुत्र रामजस जाति मेघवाल निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 513 सन 2020 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री श्री रामकुमार बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी श्री विजयसिंह कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...05/03/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.13 17:09:04 IST
Reason: SelfAttested